संख्या-10/2022/4756/41-2021-317(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी 2021**

विषय:- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के वि0स0क्षेत्रों के चयनित पर्यटन स्थलों के विकास की परियोजना की द्वितीय/ तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5938/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0-5926/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0-6034/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0-5931/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 22 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0-6037 /मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 24 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0- 5935/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 22 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0-5929/ मु0मं0प0सं0यो0/2021दिनाक 22 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-6033/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 24 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0 5934/ मु0मं0प0सं0यो0/2021दिनाक 22 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5936/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 22 दिसम्बर,2021, पत्र सं0 5925/ मु0मं0प0सं0यो0/2021दिनाक 22 दिसम्बर 2021, पत्र सं0 6036/ मु0मं0प0सं0यो0/2021दिनाक 24 दिसम्बर,2021, पत्र सं0-6040/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 24 दिसम्बर,2021,पत्र सं0 5928/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0 5927/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0-6**038**/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 24 दिसम्बर,2021, पत्र सं0-5932/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021, पत्र सं0-5933/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर,2021, पत्र सं0-6**039**/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनाक 24 दिसम्बर,2021, पत्र सं0-5930/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर,2021, पत्र सं0-5937/ मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 22 दिसम्बर,2021, पत्र सं0-6041/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 24 दिसम्बर,2021,पत्र सं0 6035/ मु0मं0प0सं0 यो0/2021 दिनांक 24 दिसम्बर,2021 , पत्र सं0 5944/मु0मं0प0सं0यो0(14)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर,2021, पत्र सं0 5888/मु0मं0प0सं0यो0(21)/ दिनांक 22 दिसम्बर,2021, एवं पत्र सं0 5887/मु0मं0प0सं0यों00(20)/2021 दिनांक 22 दिसम्बर,2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से प्रायोजनाओं की द्वितीय /तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में निम्नांकित विवरणानुसार परियोजनाओं की द्वितीय/तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निर्गत करने का इस प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि धनराशि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आहरित कर अवमुक्त करने से पूर्व प्रत्येक प्रायोजना हेतु निदेशालय द्वारा सूचित की गयी टेण्डर्ड धनराशि एवं अद्यावधि विभिन्न किश्तों में अवमुक्त की गयी धनराशि का मिलान

कर पुष्टि कर ली जायेगी:-

क्रमांक	जनपद का नाम	विधान सभा क्षेत्र	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	द्वितीय किश्त (रूपये लाख में)	टेण्डर्ड लागत के आधार पर द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में सम्प्रति अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	अमेठी	जगदीशपुर	सिद्धदास जू महाराज धाम हरगांव का पर्यटन विकास।	50.00/23.62	----------	11,97,541.00
02	अम्बेडकरनगर	कटेहरी	श्रवण क्षेत्र का पर्यटन विकास	47.45/23.72	11.86	1,71,804.00
		टाडा	कमाल पंडित की समाधि का सौन्दर्यीकरण	44.72/22.36	11.18	90,336.00
		आलापुर	चांदीपुर में स्थित राजा मोरहवज का पर्यटन विकास	48.32/24.16	12.08	1,00,539.00
		जलालपुर	ग्राम भुजंगी में भुजंगनाथ धाम का पर्यटन विकास	48.88/24.44	----------	12,67,456.00
		अकबरपुर	शिव बाबा सिमाई का पर्यटन विकास	47.53/23.76	11.88	1,99,086.00
03	बागपत	छपरौली	ग्राम नागंल में साई बाबा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	67.72/23.26	11.73	66,475.00
		बडौत	ग्राम सरूरपुर कला में गुफा वाले बाबा मंदिर का पर्यटन विकास	48.05/24.00	12.05	91,000.00
		बागपत	भगवान परशुराम मंदिर का सौन्दर्यीकरण	48.20/24.10	12.05	99,000.00
04	कुशीनगर	पडरौना	बांसी घाट का पर्यटन विकास	46.28/23.14	11.57	62,000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		तमकुहीराज	ग्राम सभा-गौरी श्री राम चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर व शिव मंदिर का पर्यटन विकास	48.23/24.11	----------	6,43,000.00
		कुशीनगर	प्राचीन शिव स्थल का पर्यटन विकास	49.04/24.52	12.26	59,000.00
05	गाजियाबाद	लोनी	ग्राम-गनौली में स्थित बाबा कोटरा समाधि एवं मंदिर का जीर्णोद्धार	49.66/24.83	12.40	1,02,000.00
		मुरादनगर	दुधेश्वर घाट गंगा नहर का पर्यटन विकास	49.38/24.69	12.34	97,000.00
		साहिबाबाद	ग्राम वार्ड नं0-29 कुटी, साहिबाबाद में स्थित मंदिर एवं समाधि का जीर्णोद्धार	49.42/24.71	12.35	1,01,000.00
		मोदीनगर	ग्राम सीकारी खुर्द में स्थित महामाया देवी मंदिर का पर्यटन विकास	49.36/24.68	12.32	13,000.00
06	शामली	कैराना	महाभारत कालीन इस्सौपुर टील का पर्यटन विकास का कार्य	49.90/24.95	----------	12,50,572.00
		कांधला	श्री सिद्धेश्वर महादेव सूरजकुण्ड मंदिर(कस्बा कॉधला-मोहल्ला रायजादगान) का पर्यटन विकास कार्य	47.37/23.68	12.80	138.00
07	अयोध्या	मिल्कीपुर	सिद्धनाथ धाम मिल्कीपुर का पर्यटन विकास	47.08/23.54	11.77	87,899.00
		बीकापुर	गौरैया देवी मंदिर का पर्यटन विकास	47.41/23.71	11.85	1,09,438.00
		अयोध्या	अष्टभुजा दुर्गा मंदिर का पर्यटन विकास	47.45/23.72	11.86	26,062.00
		गोसाईगंज	हाथीराम बाबा धाम का पर्यटन विकास	46.37/23.18	11.59	82,681.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		रूदौली	कामाख्या देवी धाम का पर्यटन विकास	43.94/21.97	10.98	90,485.00
08	बलिया	बेल्थरा रोड	ग्राम-खैरा,ब्लॉक-दीयर स्थित खैराकुटी आश्रम स्थल का पर्यटन विकास	40.08/20.00	16.03	----------
		रसडा	वि0ख0- नगर में स्थित खाकी बाबा आश्रम स्थल का पर्यटन विकास	40.30/20.15	----------	12,02,988.00
		सिकन्दरपुर	जंगली बाबा का धाम कठारा स्थल सिकन्दरापुर का पर्यटन विकास	48.12/24.00	19.24	----------
		फेफना	वि0ख0-गडवार में बीका भगत का पोखरा स्थल रतसर कोला का पर्यटन विकास	48.30/24.15	----------	11,06,210.00
		बांसडीह	बेरूआरबारी में स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास	45.95/22.98	18.38	----------
		बैरिया	वि0स0- बैरिया में स्थित खपडिया बाबा आश्रम, श्रीपालपुर स्थल का पर्यटन विकास	48.23/24.11	19.29	----------
9	सहारनपुर	बेहट	शाकुम्मारी देवी मंदिर का पर्यटन विकास	42.56/21.28	17.02	----------
		सहारनपुर नगर	फुलवारी आश्रम बाबा लाल दास शिव पार्वती मंदिर का सौन्दर्यीकरण/पर्यटन विकास	42.37/21.18	16.94	----------
		सहारनपुर देहात	कैलाशपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण/पर्यटन विकास	22.69/11.35	----------	6,25,330.00
		रामपुर मनिहारन	बाबा सद्धि मंदिर सोना अर्जुनपुर परिसर का सौन्दर्यीकरण	47.01/23.50	18.80	----------
10	श्रावस्ती	भिनगा	विभूति नाथ मंदिर का सौन्दर्यीकरण	45.96 /22.98	----------	11,04,168.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		श्रावस्ती	सीताद्वार स्थल का पर्यटन विकास	46.84/23.42	----------	10,60,168.00
11	आगरा	एत्मादपुर	बाबा जाहरवीर एवं शिवमंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास	46.72/23.36	11.68	1,64,410.00
		खेरागढ	सिद्धबाबा मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास	45.75/22.87	11.44	85,030.00
		आगरा ग्रामीण	कैलाश महादेव मन्दिर का पर्यटन विकास	42.26/21.13	10.56	2,02,799.00
		फतेहाबाद	सती माता मंदिर,धिमसिरी, फतेहाबाद का पर्यटन विकास	48.18/24.09	12.04	1,31,360.00
12	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	ग्राम मुहाना में प्राचीन बूढा बाबू मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	47.91/23.95	11.98	1,06,740.00
		स्याना	ग्राम ताहरपुर प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर, का पर्यटन विकास कार्य	47.41/23.70	11.86	1,01,158.00
		शिकारपुर	ग्राम- बनवारीपुर मोनी बाबा आश्रम का पर्यटन विकास कार्य	45.33/22.66	11.33	93,036.00
		खुर्जा	श्री सिद्धेशवर बाबा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	49.49/24.74	12.38	1,04,891.00
13	संतकबीर नगर	मेंहदावल	धर्मसिघवा का पर्यटन विकास	48.11/24.05	12.03	89,000.00
		घनघटा	महेश्वरपुर मंदिर का पर्यटन विकास	47.55/23.77	11.89	1,40,000.00
14	देवरिया	भाटपार रानी	ग्राम सरयां में स्थित सपाती माता मंदिर का पर्यटन विकास	47.00/23.50	----------	8,79,000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	बस्ती	हरैया	थाना खास शिव मंदिर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	1,42,000.00
		बस्ती सदर	जनपद बस्ती स्थित पाण्डेय पोखरा मरवटिया बाला जी महाराज मंदिर का पर्यटन विकास	49.78/24.89	12.45	1,12,000.00
16	गोरखपुर	कैम्पियरगंज	ग्राम सभा कैम्पियरगंज में स्थित सदा शिव मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	47.54/23.77	----------	10,24,000.00
		गोरखपुर शहर	जनपद गोरखपुर के नगर निकास गिरधरगंज में स्थित झारखणडी महादेव मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	48.09/24.04	12.02	31,000.00
		सहजनवां	ग्राम-सहजूपार, ब्लॉक-पिपरौली स्थित रामजानकी स्थल का पर्यटन विकास	48.16/24.08	----------	10,91,000.00
		चौरी-चौरा	वि0स0- चौरी-चौरा मुण्डेरा बाजार में वार्ड नं0-09 में स्थित मोती मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	47.09/23.05	12.02	1,93,000.00
		बांसगाव	ब्लाक- बांसगांव स्थित शिव मंदिर, बसौली स्थल का पर्यटन विकास	48.10/24.05	12.02	30,000.00
		चिल्लूपार	चिल्लूपार पडौली में स्थित समय माता (भीटी) स्थान का पर्यटन विकास	47.98/23.99	19.19	----------
17	महराजगंज	फरेन्दा	लेहडा देवी दुर्गा स्थल का सुदृढीकरण	41.07/20.53	10.27	1,43,000.00
18	मुजफ्फर नगर	चरथावल	ग्राम चरौली, ब्लाक बघरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर का पर्यटन विकास	48.61/24.30	13.14	426.00
		मीरापुर	मीरापुर स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर का पर्यटन विकास	48.46/24.23	13.69	326.00
19	फिरोजाबाद	टूण्डला	माता सियर देवी मंदिर का पर्यटन विकास	47.05/23.52	11.76	1,17,893.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	गोण्डा	कटरा बाजार	बाबा फलहारी दास कुटी धाम।	45.61/22.80	----------	12,64,806.00
		करनैलगंज	सरयू तट पर स्थित रामजानकी मंदीर करनैलगंज का पर्यटन विकास	46.69/23.34	11.67	1,74,811.00
		गौरा	श्रवण पाकड का पर्यटन विकास	46.21/23.10	----------	11,27,463.00
21	सुल्तानपुर	इसौली	इसौली किले का सौन्दर्यीकरण	46.46/23.23	----------	10,97,761.00
		सुल्तानपुर	सीताकुण्ड का पर्यटन विकास	45.81/22.90	11.45	75,158.00
		सदर	पाण्डे बाबा स्थल का पर्यटन विकास	46.02/23.00	11.51	63,337.00
		लम्भुआ	धोपाप का पर्यटन विकास	44.16/22.00	11.08	87,107.00
		कादीपुर	बिजेथुआ महावीरन का पर्यटन विकास	45.76/22.88	11.44	25,827.00
22	बाराबंकी	कुर्सी	बाबा साहेब मंदिर बेलहार का पर्यटन विकास	49.22/24.61	12.30	82,000.00
		रामनगर	महादेव मंदिर का पर्यटन विकास	49.22/24.61	-	13,01,000.00
		बाराबंकी	शैलानी माता मंदिर, उल्लूखेडा का पर्यटन विकास	47.45/23.72	11.86	2,34,000.00
		दरियाबाद	नाथ बाबा का पर्यटन विकास	49.26/24.63	12.31	82,000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		हैदरगढ	**कालेदेव बाबा स्थान का पर्यटन विकास**	**49.18/24.59**	**12.29**	**71,000.00**
23	**हापुड**	**हापुड सदर**	**मीनाक्षी रोड पर स्थित महामायी माता मंदिर का जीर्णोद्धार**	**49.35/24.67**	**12.34**	**97,050.00**
		गढमुक्तेश्वर	**गढमुक्तेश्वर स्थित नक्का कुआ मंदिर, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर गंगा मंदिर व बाबरी जलाशय का सौन्दर्यीकरण**	**49.94/24.97**	**----------**	**13,44,652.00**

3- उपरोक्त प्रस्तर-2 में प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति के क्रम में धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर अवमुक्त की जायेगी :-

(1) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु मूल प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रत्येक प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में *तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस* सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रत्येक परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रत्येक परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) संदर्भगत प्रायोजनाओं में द्वितीय/तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण एवं प्रस्ताव के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि इस संबंध में कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था /क्षेत्रीय अधिकारियों एवं पर्यटन निदेशालय का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार–08- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारीगण।
4- **संबंधित कोषाधिकारी** (मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ/ संबंधित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी)
5- सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, उप निदेशक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- संबंधित कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशकगण।
8- संबंधित परियोजना प्रबंधकगण /अधिशासी अभियन्तागण
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- संबंधित उप निदेशकगण पर्यटन /क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारीगण
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।